



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  
रिट याचिका सेवा क्रमांक 7365/2023

1- जे.बी.एस. चौहान, पिता श्री बैद्यनाथ सिंह, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी: कचना रेलवे क्रॉसिंग के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बगल में, शिव मंदिर के सामने, सड्डू, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

... याचिकाकर्ता(गण)

**विरुद्ध**

1- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

2- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

3- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा उप-सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

4- संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

5- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सी.आई.डी.सी.), शास्त्री चौक, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

... उत्तरवादी(गण)

(वाद-शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

---

याचिकाकर्ता की ओर से	:- श्री संदीप पटेल, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:- श्री दशरथ प्रजापति, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से	:- श्री सुयश धर बड़गैयां, अधिवक्ता की ओर से श्री सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्ता

---

एकल पीठ - माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर आदेश

25.11.2025



1. याचिकाकर्ता ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर अपने संविलियन तथा सभी परिणामी सेवा एवं वित्तीय लाभों पर विचार किए जाने की मांग करते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि राज्य शासन के उन बार-बार लिए गए नीतिगत निर्णयों और परिपत्रों के बावजूद याचिकाकर्ता के संविलियन के प्रकरण को अनुचित रूप से अनदेखा किया गया है, जो तत्कालीन एमपीएसआरटीसी (मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) से छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में स्थानांतरित कर्मचारियों के संविलियन को अनिवार्य बनाते हैं। यह रेखांकित किया गया कि याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया था, बल्कि उन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन स्थायी रूप से रखा गया था, जहाँ उनकी सेवा निरंतर जारी है। अतः, उत्तरवादीगण शासकीय निर्देशों दिनांक 10.12.2007, 18.09.2013, 22.03.2016 और पश्चातवर्ती संकल्पों के आधार पर उन्हें संविलियन करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं। अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि जहाँ उनके समान स्थिति वाले कई अन्य कर्मचारियों का पहले ही संविलियन किया जा चुका है और उन्हें सभी परिणामी एवं सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए गए हैं, वहीं याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया है और बिना किसी औचित्य के उन्हें इससे वंचित रखा गया है, जो प्राधिकारियों की निष्क्रियता को भेदभावपूर्ण तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बनाता है। वर्षों से कई संकल्पों और अनुशंसाओं के बावजूद, और 1983 से याचिकाकर्ता की निर्बाध सेवा के बावजूद, उत्तरवादीगण ने न तो उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया और न ही पुनर्वास और संविलियन के बीच के अंतर को समझा। यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादीगण ने राज्य के नीतिगत निर्णय का गलत निर्वहन किया है, अपने वैधानिक और प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से कार्य किया है, जिससे याचिकाकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो अब सेवानिवृत्ति और परिणामी लाभों से वंचित होने का सामना कर रहा है। अतः, आक्षेपित निर्णय को अभिखण्डित किया जाए और न्याय के हित में याचिकाकर्ता के संविलियन का निर्देश दिया जाए।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.07.2002 के अनुपालन में तत्कालीन एमपीएसआरटीसी के विघटन के पश्चात, कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए जारी पुनर्वास नीतियों/परिपत्रों (दिनांक 13.12.2002, 06.02.2003 और 23.12.2004) के अनुसार याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में विधिवत संविलियन किया गया था। आगे यह तर्क किया गया है कि वर्ष 2004 में याचिकाकर्ता की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पश्चातवर्ती पदस्थापना पूरी तरह से प्रतिनियुक्ति पर थी और इससे उन्हें राज्य शासन में संविलियन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, विशेष रूप से तब जब उक्त नीतियां स्पष्ट रूप से सीआईडीसी कर्मचारियों के संविलियन को केवल निगमों, बोर्डों और संघों तक सीमित रखती हैं और राज्य शासन के विभागों में संविलियन को वर्जित करती हैं। यह भी तर्क किया गया है कि



याचिकाकर्ता के पास मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद हेतु आवश्यक पात्रता का अभाव है, और इसलिए लागू परिपत्रों और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में उनके संविलियन के लिए कोई विधिक या निहित अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

4. उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता अपने पद से दिनांक 31.08.2023 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए, सेवानिवृत्ति के पश्चात याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

6. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता तत्कालीन एमपीएसआरटीसी (मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) का कर्मचारी था, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य हेतु समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की सेवाओं को सीआईडीसी (छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) में संविलियन किया गया था और याचिकाकर्ता को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया था। तदनुसार, दिनांक 13.12.2002, 06.02.2003 और 23.12.2004 की नीति/परिपत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की सेवाओं को केवल निगम, बोर्ड और संघ में ही संविलियन किया जा सकता है, न कि राज्य शासन में। याचिका के आगे के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि याचिकाकर्ता के पास मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद हेतु आवश्यक पात्रता का अभाव है, और इसलिए, तत्कालीन एमपीएसआरटीसी और वर्तमान सीआईडीसी के कर्मचारियों के संविलियन के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, उनकी सेवाओं को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में संविलियन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता दिनांक 31.08.2023 को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, यद्यपि वह अब संविलियन के आदेश की मांग कर रहा है। न्यायालयों ने समय-समय पर यह अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात संविलियन जैसे सेवा लाभ प्रदान नहीं किए जा सकते। एक बार जब कर्मचारी अधिवार्षिकी प्राप्त कर लेता है, तो नियोजक-कर्मचारी संबंध समाप्त हो जाता है, और जब तक कि कोई विनिर्दिष्ट सेवा नियम अन्यथा प्रावधान न करे, सामान्यतः प्राधिकारी का उस व्यक्ति पर अधिकारिता समाप्त हो जाता है।

7. इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि, एक सामान्य नियम के रूप में, अधिवार्षिकी की तिथि के पश्चात संविलियन, पदोन्नति या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने जैसे कोई नए सेवा आदेश जारी नहीं किए जा सकते। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी एक बार अधिवार्षिकी प्राप्त कर लेने के बाद, नए सेवा लाभ प्राप्त



करने के लिए किसी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अतः, संविलियन के आदेश के विधिमान्य होने के लिए, यह आवश्यक है कि उस पर प्रक्रिया की जाए और वह तब जारी किया जाए जब कर्मचारी सक्रिय सेवा में हो।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य विरुद्ध गिरिराज प्रसाद शर्मा**, जो कि **विशेष अनुमति याचिका (सि.) क्रमांक 18460-18461/2023** से उद्भूत है, के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पदोन्नति रिक्ति की तिथि से नहीं बल्कि केवल उस तिथि से प्रभावी होती है जिस दिन पदोन्नति आदेश जारी किया जाता है और कार्यभार ग्रहण किया जाता है, और परिणामस्वरूप, सेवानिवृत्ति के पश्चात पदोन्नति प्राप्त करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

9. किसी भी संविलियन के मान्य होने के लिए, यह आवश्यक है कि वह कठोरता से लागू नीति के अनुसार और उस अवधि के दौरान प्रभावी किया जाए जब ऐसी नीति क्रियाशील हो, न कि केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुरोध के आधार पर। सेवानिवृत्ति के पश्चात उठाए गए संविलियन या सेवा लाभों के दावे सामान्यतः पोषणीय नहीं होते हैं, क्योंकि संविलियन कर्मचारी की सक्रिय सेवा के दौरान होना चाहिए; सेवानिवृत्ति के पश्चात के दावे प्रशासन के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और तब तक अनुमति योग्य नहीं हैं जब तक कि वैधानिक नियमों या सेवा अवधि के दौरान जारी किए गए न्यायालय के आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से समर्थित न हों। ऐसा कर्मचारी जिसका संविलियन या पदोन्नति अधिवार्षिकी से पहले न तो अंतिम रूप दी गई थी और न ही कार्यान्वित की गई थी, वह उसके बाद भूतलक्षी लाभों या काल्पनिक पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता है।

10. वर्तमान प्रकरण में, याचिका दिनांक 29.08.2023 को प्रस्तुत की गई थी, जो याचिकाकर्ता की दिनांक 31.08.2023 को होने वाली सेवानिवृत्ति से मात्र दो दिन पूर्व थी। याचिकाकर्ता को विशुद्ध रूप से राज्य शासन के एक नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दुर्ग के रूप में नगरीय प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था; हालाँकि, दिनांक 13.12.2002, 06.02.2003 और 23.12.2004 की पुनर्वास नीतियां स्पष्ट रूप से तत्कालीन एमपीएसआरटीसी कर्मचारियों के संविलियन को केवल निगमों, बोर्डों और संघों तक सीमित रखती हैं, और राज्य शासन के विभागों में संविलियन की अनुमति नहीं देती हैं। याचिकाकर्ता मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर संविलियन के लिए अपात्र भी था। स्पष्ट नीतिगत ढांचे और सेवानिवृत्ति के पश्चात संविलियन की मांग करने के किसी भी अधिकार के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए, याचिकाकर्ता का दावा विधि की दृष्टि में पूर्णतः असमर्थनीय और असंभारणीय है।



11. तदनुसार, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों के आलोक में, याचिकाकर्ता की संविलियन की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप, याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, और यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार **खारिज** की जाती है।  
वाद-व्यय हेतु कोई आदेश नहीं ।

सही / -  
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)  
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

